वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.08.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, आज, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 08.08.2024

अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की टीम ने बुधवार को पांच बीघे में हो रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। वार्ड मुगलसराय के मौजा चंद्रखा अलीनगर में प्लॉट के लिए बनाई जा रही सड़कें, नाली और बिजली पोल पर बुलडोजर चलाया गया। जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार व अवर अभियंता पीएन दुबे ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा निर्माण कराया जा रहा था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उधर, भेलूपुर के रविंद्रपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि ऊषा देवी और अजय मौर्या बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान का निर्माण करा रहे थे। ब्यूरो

राष्ट्रीय सहारा –दि0 08.08.2024

मानक के विपरीत संचालित पांच होटल व गेस्ट हाउस होंगे सील

वाराणसी। अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) प्रकाश चंद्र ने वाराणसी विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों के मानक के विपरीत संचालित कई होटल और गेस्ट हाउस को सील करने का निर्देश दिया है। इसके अन्तर्गत 'एसडीएम गेस्ट हाउस/बैंक्वेट हाल' स्थित आराजी संख्या-822, मौजा-तरना, शिवपुर, तहसील सदर, 'राजधानी गेस्ट हाउस' स्थित भवन संख्या-एस 21/86, इंग्लिशियालाईन, जवाहर नगर, 'होटल राधेकृष्ण' स्थित भवन संख्या-बी 3/183-ए, शिवाला, थाना-भेलूपुर, 'सिटी गार्डेन' स्थित भवन संख्या-एस 14/ 27-1 लक्ष्छीपुरा, अंधरापुल तथा ''होटल जेनिया' स्थित भवन संख्या- डी 63/11 एकेके, नियर हर्ष गेस, महमूरगंज को बंदी सम्बन्धी आदेश पारित करते हुए सचिव विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी को नियमानुसार सील/ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सम्बन्धित मजिस्ट्रेट, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभारी निरीक्षक को आदेश का अनुपालन कराने के लिए भी निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 08.08.2024

तकनीकी ज्ञान अद्यतन करें आर्किटेक्ट्स/ इंजीनियर्स

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा माह के अंत में उस माह के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ मानिचत्र स्वीकृति दर वाले तीन आर्किटेक्ट्स/ इंजीनियर्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे ऐसे आवेदक जिनको मानिचत्र स्वीकृत कराना है वह उन आर्किटेक्ट्स/ इंजीनियर्स के माध्यम से शीघ्र अति शीघ्र मानिचत्र स्वीकृत करा सके। अब प्राधिकरण द्वारा ऐसे आर्किटेक्ट्स/ इंजीनियर्स को चिन्हित किया जा रहा है जो मानिचत्र स्वीकृति के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव रखते है तथा पोर्टल पर एवं शमन मानिचत्र में नियम विरुद्ध अथवा आपत्तिनुमा मानिचत्र आवेदित करते है जिससे मानिचत्र स्वीकृति में लगनें वाले समय में बढ़ोत्तरी होती है एवं आवेदक को परेशानी होती है तथा प्राधिकरण की छवि धूमिल होती है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे आर्किटेक्ट्स/ इंजीनियर्स को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। अब तक कुल चार नोटिस जारी किये जा चुके है। नोटिस के माध्यम से उनको निर्देशित किया गया है कि अपना तकनीकी ज्ञान अद्यतन करें एवं सही तरीके से मानिचत्र आवेदित करें।

आज –दि0 08.08.2024

गंगा के २०० मीटर दायरे में हो सकता है मरम्मत और निर्माण कार्य

गंगा नदी के टच से २०० मीटर दायरे में भवन मरम्मत या पुनः निर्माण के लिये विप्रा की वेबसाइट अथवा हेल्पडेस्क के माध्यम से भवन स्वामी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक भवन के मरम्मत, पुनः निर्माण के साथ वर्तमान भवन का मानचित्र मलिकाना संबंधी अभिलेख, भवन के लोकेशन, भवन के वर्तमान स्थिति इन सभी का फोटोग्राफी करने के बाद नगर निगम से जारी चिट्ठा एवं शपथ पत्र जमा करेंगे। आवेदन की पुष्टि जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता द्वारा निरीक्षण के बाद किया जायेगा। आवेदन को प्राधिकरण में १५ दिन कार्य दिवस में निस्तारित किया जायेगा। किसी भी भवन स्वामी जो कि गंगा तट या आसपास में निवास कर रहे हैं उन्हें अपना भवन मरम्मत करने या पुनः निर्माण करने आवेदन संबंधी जानकारी हेल्पलाइन ०५४२-२२८३३०५ व्हाट्सप नंबर-७५१८१०२८२२ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आज –दि0 08.08.2024

विप्रा ने लोगों को मानचित्र स्वीकृत कराने की बनायी सरल योजना

मानचित्र निस्तारण के लिए विप्रा ने एक योजना निकाली है जिसमें कि लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इसके लिए विप्रा प्रशासन ने प्रत्येक माह के अंत में सर्वश्रेष्ठ तीन आर्किटेक्टस इंजीनियर को चिह्नित करेगा जो लोगों के मानचित्र को स्वीकार कराने में सफल होंगे। इस प्रकार के आर्किटेक को चिह्नित कर उस यूपीओबीपीएस पोर्टल पर समन मानचित्र में नियमानुसार आवेदन किया जा सकता है। इस तरह के लोगों का समय भी बचेगा और उनको मानचित्र दाखिल कराने के लिये बार-बार संशोधन के बाद आविश्यक कागज दाखिल नही करने होंगे। इस प्रकार के आर्किटेक और इंजीनियर नोटिस के माध्यम से तकनीकी ज्ञान और सही तरीके से मानचित्र आवेदन करायेंगे जिससे कि लोगों का समय और धन दोनों की बजट होगी।

आठ बीघा प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन २ में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कारवाई की गयी। वार्ड सारनाथ मौजा-शंकरपुर में लगभग तीन बीघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। प्लाटिंग के लिये विप्रा से ले आऊट स्वीकृति नहीं ली गयी थी। मौकेपर पहुंचे जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जेपी गुप्त, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और निकटम थाने की पुलिस के सहयोग से प्रवर्तन विभाग ने जेसीबी के माध्यम से प्लाटिंग पर हुये निर्माण को ध्वस्त करा दिया। इसी प्रकार जोन पांच में पांच बीघा जमीन पर प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की काररवाई की गयी। वार्ड मुगलसराय मौजा-चन्द्रखा में बिना प्लाटिंग स्वीकृत कराये अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दूबे, क्षेत्रीय थाने की पुलिस और प्रवर्तन विभाग के सहयोग से जेसीबी की माध्यम से प्लाटिंग में हुये निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

आज –दि0 08.08.2024

बकायेदारों का आवंटन होगा निरस्त

विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर सचिव ने बुधवार को किराया और किस्त पर दी गयी समत्तियों की समीक्षा की। इसमें किराये पर दी गयी समत्तियों के मद में सात करोड़ २९ लाख १७ हजार पांच सौ ८९ और किस्त पर समत्तियों पर १३ करोड़ ९७ लाख ६० हजार १३६ बकाया चला आ रहा है। समत्ति अधिकारी ने बताया कि चार रेंड कलेक्ट्रों के माध्यम से बकाया राशि की वसूली की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक आवंटियों को किराया जमा करने के लिए मोबाइल पर सूचना भेजी जा रही है। क्यूआर कोड के माध्यम से सभी बकायेदारों के यहां नोटिस चस्पा कर दी गयी है और उन्हें घर बैठे बकाया राशि प्राधिकरण कोष में जमा करने के लिए कहा गया है। सचिव ने निर्देश दिया कि बकायेदारों के पास १५-१५ दिन पर नोटिस भेजा जाये और भुगतान न करने वालों के विरूद्ध आवश्यक काररवाई करते हुए आवंटन निरस्त किया जाये। इसके लिए १० बकायेदारों की सूची तैयार कर समत्ति सील करने की कारवाई और आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी जाये।

आज –दि0 08.08.2024

भेलूपुरमें भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अभियंताओं की टीम ने बुधवार को मकान नम्बर बी २९/३४ रविन्द्रपुरी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य किया जा रहा था। मौके पर पहुंचे अभियंताओं ने टीनशेड और दिवार का फिनिसिंग का कार्य होते देखा। अभियंताओं ने कारीकरों का मौके से भगा दिया और अवैध निर्माण कराने पर भवन को सील कर दिया। अवर अभियंता ने सिलिंग कारवाई के बाद भेलूपुर थाने की अभिरक्षा में भवन को सौंप दिया। कारवाई में जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह, अजय जैन आदि शामिल थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान –दि0 08.08.2024

मानकों की अनदेखी कर संचालन करने पर प्रशासन का चाबुक

पांच होटलों-गेस्ट हाउसों को बंद करने का आदेश

सख्ती

वाराणसी, संवाददाता। शहर में मानक के विपरीत चल रहे होटलों, गेस्ट हाउसों और मैरिज लॉनों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त हो गया है। बिना नक्शा पास कराए बने पांच होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज लॉन बंद करने का आदेश दिया है। अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) प्रकाश चंद्र ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। इन स्थानों पर फायर सेफ्टी के भी प्रबंध नहीं हैं।

उन्होंने वीडीए सचिव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) और अन्य सम्बंधित विभागों को नियमानुसार इन होटलों को सील करने या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को कहा है। इनमें तरना (शिवपुर) स्थित एसडीएम गेस्ट हाउस व बैंक्वेट हाल, इंग्लिशिया लाइन (कैंट) स्थित राजधानी गेस्ट हाउस, शिवाला (भेलूपुर) स्थित होटल राधेकृष्ण, लच्छीपुरा (अंधरापुल) स्थित सिटी गार्डन लॉन और महमूरगंज स्थित होटल जेनिया शामिल हैं। एडीएम ने सम्बंधित मजिस्ट्रेट, सहायक पुलिस आयुक्त और प्रभारी निरीक्षक को भी आदेश का अनुपालन कराने के लिए भी निर्देशित किया है।

सराय एक्ट के तहत आवेदन, फिर मनमानी: एडीएम (प्रोटोकाल) प्रकाश चंद्र ने बताया कि पांचों होटल और गेस्ट हाउस संचालकों ने सराय एक्ट के तहत उनके कार्यालय में आवेदन किया था, पर इनका मानचित्र वीडीए से स्वीकृत नहीं था। अग्निशमन विभाग से एनओसी भी नहीं लिया गया था। इसके बाद इन होटलों पर कार्रवाई करने के लिए वीडीए, अग्निशमन और अन्य सम्बंधित विभागों को आदेश दिए गए।

बिना नक्शा पास कराए हुआ निर्माण, फायर सेफ्टी भी नहीं

- इनके खिलाफ सीलिंग अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश
- एडीएम प्रोटोकाल ने वीडीए और सीएफओ को जारी किया पत्र
- शिवपुर, इंग्लिशियालाइन और शिवाला आदि क्षेत्रों में हैं होटल

दो होटलों और मैरिज लॉन पर हो चुकी है कार्रवाई

मानक का पालन न करने पर बीते दिनों वरुणा के ग्रीन बेल्ट में बने होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर कार्रवाई हुई है। वहीं मैरिज लॉन (बीएस गार्डन) पर भी कार्रवाई की गई है। इस दौरान वीडीए, जिला प्रशासन के अधिकारियों को काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा था लेकिन पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की गई। यहां कई अन्य होटलों पर भी वीडीए अफसरों की भृकुटी तनी हुई है।

चार आर्किटेक्टों को वीडीए ने दिया नोटिस

वाराणसी। चार आर्किटेक्टों को वीडीए ने नोटिस दिया है। इन्होंने मानचित्र के मानकों का उल्लंघन किया जिससे आवेदकों को परेशानी हुई। ऐसे आर्किटेक्ट चिन्हित हो रहे हैं जिनको मानचित्र निर्माण के मानकों की जानकारी नहीं है। महीने के अंत में मानक के अनुरूप नक्शा तैयार करने वाले तीन आर्किटेक्ट प्रोत्साहित किए जाते हैं।

बकायेदारों का आवंटन निरस्त करेगा प्राधिकरण

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा ने बुधवार को किराया बकाया की समीक्षा की। दस बड़े बकाएदारों की सूची तैयार करके नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो बकाया नहीं जमा कर रहे हैं उन्हें 15-15 दिन पर दो नोटिस भेजा जाए। इसके बाद भी पैसा न जमा करने पर आवंटन निरस्त कर दें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 08.08.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा 03 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-सारनाथ, मौजा - शंकरपुर थाना- चौबेपुर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी व उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 07/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता जे0 पी0 गुप्ता उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 08.08.2024

मानक के विपरीत संचालन पर पांच होटल/गेस्ट हाउसो को बंद करने का आदेश

वाराणसी। अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) प्रकाश चंद्र ने वाराणसी विकास प्राधिकरण एवंअग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों के मानक के विपरीत संचालित एस0डी0एम0 गेस्ट हाउस/बैंक्वेट हाल स्थित आराजी संख्या-822 छ, मौजा-तरना, शिवपुर, तहसील सदर, राजधानी गेस्ट हाउस स्थित भवन संख्या-एस0-21/86, इंग्लिशिया लाईन, जवाहर नगर, होटल राधेकृष्ण स्थित भवन संख्या-बी0-3/183-ए, शिवाला, थाना-भेलूपुर, सिटी गार्डेन स्थित भवन संख्या-एस0-14/ 27-1 लक्ष्छीपुरा, अंधरापुल तथा होटल जेनिया स्थित स्थित भवन संख्या- डी-63/11 ए0के0के0, नियर हर्ष गैस, महमूरगंज को बंदी सम्बन्धी आदेश पारित करते हुए सचिव विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी को नियमानुसार सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए सम्बन्धित मजिस्ट्रेट, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभारी निरीक्षक को बंदी सम्बन्धी आदेश का अनुपालन कराने हेतु भी निदेशित किया गया है।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 08.08.2024

पांच होटल व गेस्ट हाउस को बंद करने का आदेश

वाराणसी। अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) प्रकाश चंद्र ने वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं अग्निशमन विभाग तथा अन्य विभागों के मानक के विपरीत संचालित पांच होटल व गेस्ट हाउसों को बंद कराने का आदेश दिया है। इनमें एसडीएम गेस्ट हाउस/बैंक्वेट हाल तरना, शिवपुर, राजधानी गेस्ट हाउस इंग्लिशिया लाईन जवाहर नगर, होटल राधेकृष्ण शिवाला, सिटी गार्डेन लक्ष्छीपुरा अंधरापुल तथा होटल जेनिया नियर हर्ष गैस, महमूरगंज को बंदी संबंधी आदेश पारित करते हुए सचिव विकास प्राधिकरण एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी को नियमानुसार सील व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभारी निरीक्षक को बंदी संबंधी आदेश का अनुपालन कराने के लिए भी निदेशित किया गया है।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 08.08.2024

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश ने की संपत्तियों के बकाया वसूली की समीक्षा

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा बुधवार को संपत्ति अनुभाग के किराए पर तथा किस्त पर दी गई संपत्तियों के बकाए की वसूली की समीक्षा की गई। किराए पर दी गई संपत्तियों के मद में रुपए 7,29,17,589 तथा किस्त व ई ऑक्शन के माध्यम से दी गई संपत्तियों पर रुपए 13,97,60,136 बकाया चल रहा है इसकी वसूली की जानी है।

संपत्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि बकाया की वसूली 4 रैंट कलेक्टरों के माध्यम से की जा रही है तथा इसके लिए पीएमएस सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है, जिसके द्वारा प्रतिमाह बकाए की सूचना प्रत्येक आवंटी को उनके मोबाइल

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा समीक्षा बैठक लेते हुए

पर जा रही है। इसके साथ ही क्यूआर कोड निकाल करके सभी बकायदार आवंटियों के आवास पर चस्पा करा दिया गया है, जिसके द्वारा आवंटी स्वयं घर बैठे बकाया धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कर सकते हैं। सचिव वीडीए द्वारा संपत्ति अनुभाग के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि जो बकायदार पैसा नहीं जमा कर रहे हैं उन्हें दो नोटिसे 15- 15 दिन की प्रेषित की जाए और उसके पश्चात भी पैसा ना जमा करने पर उनके आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही 10 बड़े बकायदारों की सूची बना ली जाए यदि नोटिस देने के बाद भी यह भुगतान नहीं करते हैं तो आवंटन निरस्तीकरण के साथ ही उनके संपत्ति के सील करने की भी कार्यवाही की जाए।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 08.08.2024

वाविप्रा द्वारा ध्वस्त किये गये अवैध निर्माण व की गई सीलबन्दी की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-मुगलसराय, मौजा-चन्द्रखा, थान-अलीनगर, जिला-चन्दौली के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी त उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 07/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार अवर अभियंता पी0 एन0 दुबे उपस्थित रहे। इसी क्रम में वार्ड-सारनाथ, मौजा - शंकरपुर थान- चौबेपुर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी त उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 07/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता जे0 पी0 गुप्ता उपस्थित रहे।।इसके अलावा वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत उषा देवी पतनी स्व0 शिव प्रसाद मौर्या एवं अजय मौर्या द्वारा मकान सं0-बी-29/34. रविन्द्रपुरी, वार्ड-भेलूपुर जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये 25̆50 वर्गफीट मे क्षेत्रफल में टीन शेड का निर्माण पूर्ण कर दिवाल एवं फिनिशिंग कार्य किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा -27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी त निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान मे लगभग 25×50 वर्गफीट में क्षेत्रफल में टीन शेड का निर्माण पूर्ण कर दिवाल एवं फिनिशिंग आदि का कार्य किये जाने पर उक्त अनिधिकृत निर्माण को आज दिनांक 07.08.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था।इस मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी अवर अभियंता श्री राकेश कुमार सिंह व श्री अजय जैन उपस्थित रहे।वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी